

NORTH X BLOCK D
PROPOSED SITE PLAN OF
KHASRA NO-677/673 & 112/455 (PART)
VILLAGE- SOGARIYA, TAHSIL- LADPURA
DISTT. KOTA

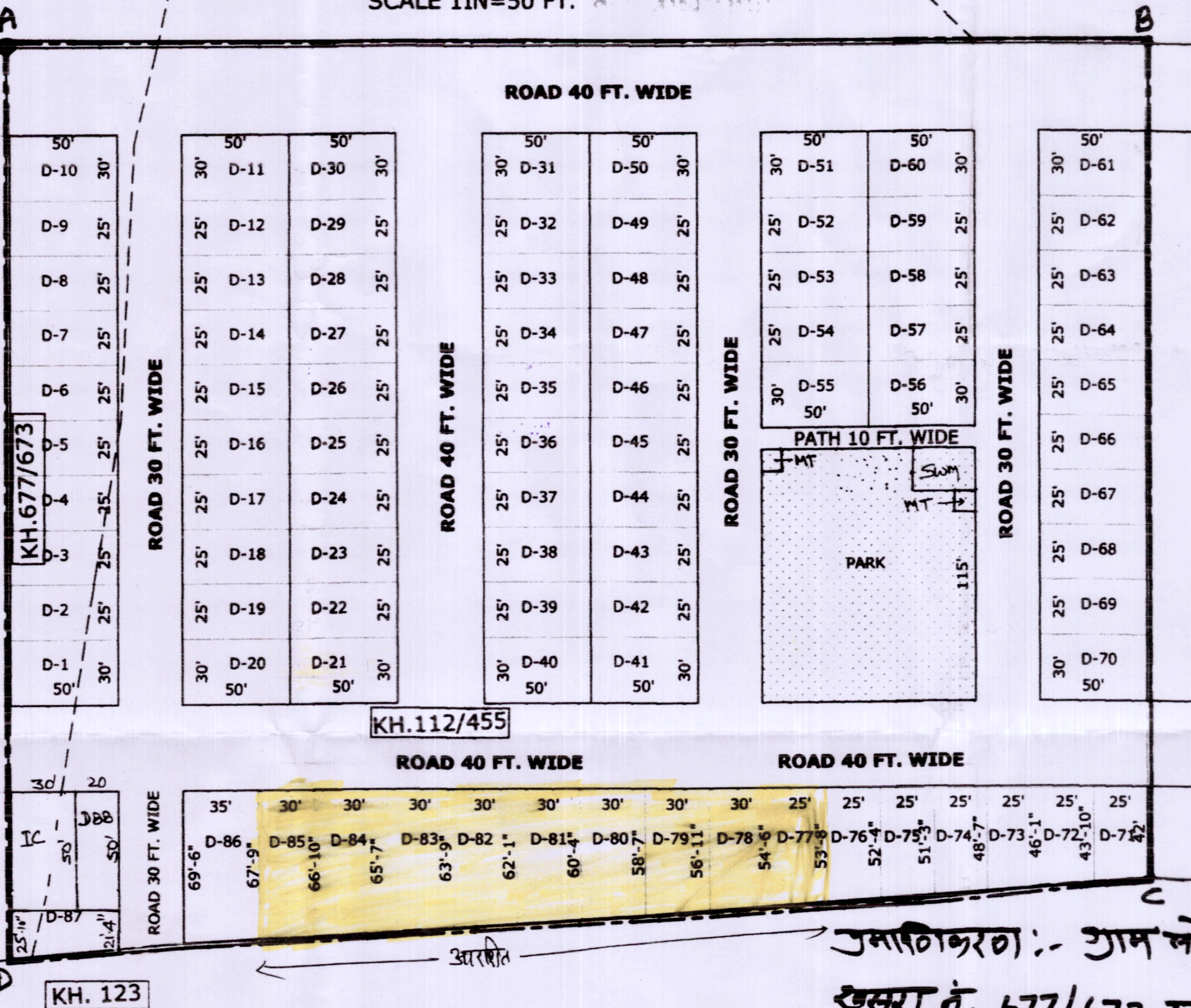


SCALE 1IN=50 FT.

KH. 113

NORTH-X
COLONY

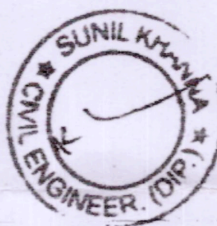
KH.678/673



KH. 123

For SHUBHAM INFRA HOUSING

Signature



04/07/24
महसिलदार
न्यास कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

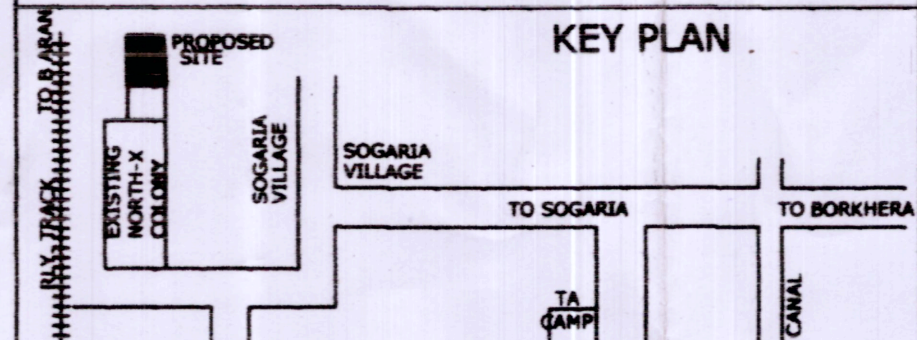
उपस्थित :- ग्राम सोगरीया के
खसरा नं. 677/673 रकबा 0.10 हे.
तथा ख.नं. 112/455 रकबा 1.87
हे. भूमिका सीमांकन A के उपस्थित
किया गया।

OFFICE USE ONLY

PLOT NO:- 88 NOS.
SIZE :-
AREA OF PLOT:-
AREA OF PLOT:-

IN SQ.FT.
IN SQ.YD.

KHASRA	RAKBA
677/673	0.10
112/455 PART	1.87
TOTAL AREA	1.97 HECT.



ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं 112/455, 677/673 ग्राम सोगरीया क्षेत्रफल 19700 वर्गमीटर (Mark-)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENCIAL	I.C.	PARK+SW+ MT	ROAD
119565 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	11500 वर्गफीट	79407
56.41 प्रतिशत	0.70 प्रतिशत	5.43 प्रतिशत	37.46 प्रतिशत
कुल क्षेत्रफल - 211972 वर्गफीट			

- (1) योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं 0 D-77 से D-85 कुल भूखण्ड 09 क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉडेल ड्राइंग संपादित करवाये। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
- (2) आवेदित भूमि को पूर्व पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना नॉर्व एक्स की 40 फीट चौड़ी सड़क से उपलब्ध है, जिसका यथावत निरंतर रखा जाना होगा।
- (3) आई.सी. ब्लॉक का प्रत्येक से भवन मानचित्र/विस्तृत मानचित्र अनुमोदन कराया जाना होगा।
- (4) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- (5) योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पीडू रखा जाना अपेक्षित है।
- (6) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बावत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (7) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3/77/नविदि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (8) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- (9) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

OWNER'S SIGN..